समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव को ही संबोधित किया जाये
किसी प्रकार के व्यक्तिगत नाम से नहीं। पूर्व संदर्भ यदि हो
तो देना आवश्यक है अन्यथा कोई कार्यवाही संभव नहीं होगी।

दूरभाष 2529540,25275320
तार यूनिव्हरसिटी
फैक्स 0731 2529540

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय-भवन
इन्दौर-452001

क्र.सा.वि.क./रैगिंग रोकथाम समिति/2026-27/725 दिनांक:- 25 AUG 2026

//अधिसूचना//

आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल से प्राप्त पत्र क्रमांक 402/264/83/आउशि/शाखा-5 'अ'/2014 भोपाल, दिनांक 27 मई 2015 के अनुपालन में एवं प्रति वर्षानुसार रैगिंग पर अंकुश लगाने हेतु निम्नानुसार विश्वविद्यालय स्तरीय एन्टी रैगिंग समिति का गठन किया जाता है -

1/	प्रो. लक्ष्मीकांत त्रिपाठी, अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, देअविवि, इन्दौर	-	संयोजक
2/	प्रो. सचिन शर्मा, निदेशक महा. विकास परिषद् देअविवि, इन्दौर	-	सदस्य
3/	प्रो. गीता नेमा, आई.आई.पी.एस., देअविवि, इन्दौर	-	सदस्य
4/	प्रो. सखाराम गुजाल्दे, जनजाति विभाग/अर्थशास्त्र अ.शा., देअविवि, इन्दौर	-	सदस्य
5/	कुलसचिव/उ.कु.स./सहा. कुलसचिव प्रशासन विभाग	-	सदस्य

नोट :- उक्त अधिसूचना को सूचना पटल पर चस्पा कर समस्त छात्र/छात्राओं को सूचित करें।

आदेशानुसार

कुलसचिव

पृष्ठा.क्र.स.वि.क./रैगिंग रोकथाम समिति/2026-27/725 दिनांक:- 25 AUG 2026

1/ आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.शासन, सतपूड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)।
2/ अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, इन्दौर संभाग, मोती तबेला, इन्दौर।
3/ उक्त समस्त संबंधित सम्माननीय सदस्यों की ओर सूचनार्थ।
4/ कुलगुरूजी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, दे.अ.वि.वि., इन्दौर।
5/ प्राचार्य/निदेशक/संचालक, वि.वि. से संबद्ध समस्त महाविद्यालय,जिला-धार,झाबुआ, इन्दौर/विभागाध्यक्ष,समस्त अध्ययनशालाएँ, दे.अ.वि.वि., इन्दौर।
6/ आई.टी. सेन्टर, वि.वि. की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रस्तुत।

अधिष्ठाता, छात्र कल्याण